समाहरणालय: मधुबनी।

(जिला पशुपालन विभाग)

निविदा संख्या– 02/वर्ष : 2017

संभावित बाढ़ 2017 से प्रभावित होने वाले पशुओं को चारा की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान एवं आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 9.08.2017 के अपराह्ण 1:00 बजे तक मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को उसी दिन अपराह्ण 2:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें सभी निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

–: सामग्रियों का विवरण :–

सूखा चारा (गेहूँ का भूसा) – दर प्रति क्विंटल

(मधुबनी जिला के प्रभावित प्रखंड मुख्यालय तक पहुँचाने का भाड़ा सहित)

निविदा हेतु शर्त :–

1. निविदा के रूप में तकनीकि एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग-अलग शिल्ड लिफाफा में जमा करना होगा।
2. तकनीकि निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदा दाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद जमा किये गये निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

तकनीकि निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकि निविदा फार्म का निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन एवं वाणिज्यकर विभाग द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नं0 एवं पैन कार्ड की छायाप्रति एवं फर्म का नाम कभी काली सूची में दर्ज नही है, के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
2. निविदा दाता को जमानत राशि के रूप में मो0– 10,000–00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी के पक्ष में देय होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, मधुबनी पर भुगतेय होगा, तकनीकि लिफाफा के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा खुलने के दिन ही निविदा दाताओं को आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का नमूना उल्लेखित दर के अनुरूप देना होगा तथा नमूना में दिखाया गया सामग्री ही आपूर्ति करनी होगी। नमूना संतोषप्रद नही होने पर इसे अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा, चाहे निविदा दाता का दर न्यूनतम ही क्यों न हों।

वित्तीय निविदा की अन्य शर्तें :–

1. निर्धारित मानकों के अनुरूप आपूर्ति किये जाने वाले सूखा चारा का आपके फर्म का न्यूनतम दर परिवहन व्यय सहित अंकित होगा।

निविदा की अन्य शर्तें :–

1. निविदा दाताओं में से स्वीकृत निविदा दाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत नमूना के अनुरूप चारे की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे।
2. निविदा में अंकित मूल्य पर जिला में किसी स्थानों पर समानों की आपूर्ति करनी होगी तथा निविदा में स्वीकृत दर पूरे बाढ़ अवधि के लिए मान्य होगी।
3. स्वीकृत निविदा दाता को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
4. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत या स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इस निविदा से संबंधित जानकारी madhubani.bih.nic.inपर भी देखा जा सकता है।

22/7/17

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।